मेरठ विकास प्राधिकरण

की

108वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 07–12–2016

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 108वीं बैठक दिनांक 07–12–2016 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 108वीं बैठक कार्यालय मण्डायुक्त सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 07–12–2016 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री योगेन्द्र यादव,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री डी0सी0गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ मुख्यालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री विवेक भाष्कर	प्रतिनिधि, आयुक्त एन0सी0आर बोर्ड, गाजियाबाद	सदस्य
4.	श्री कुल भूषण वार्ष्णेय	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5.	डा0 राघवेन्द्र सिंह	कोषाधिकारी, (प्रतिनिधि, विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ) कोषागार एवं पेन्शन, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री राजीव कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, (प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ) निर्माण खण्ड–8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य

7.	डा0 राजेश सिंह	शासन द्वारा नामित	सदस्य
8.	श्री परमिन्दर इशू	शासन द्वारा नामित	सदस्य
9.	श्रीमती मिष्ठा देवी	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
10.	श्री राजेन्द्र सिंह	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
11.	श्री पंकज कतीरा	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
12.	श्री विजय आनन्द	पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित	सदस्य
13.	श्री अवनीश कुमार शर्मा	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक / सदस्य

प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 के निर्णय पर अनुपालन–

मद सं0 01

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए निर्देश दिया गया कि यातायात नगर विकसित करने हेतु

भूमि लेने हेतु किसानों से की जा रही वार्ता को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड में रखा जाय।

मद सं0 02,

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 03

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 04

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 05

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी के मानचित्र निर्गमन की गाईड लाईन्स का अनुमोदन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 06

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 07

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 08

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 09

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 10

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 11

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 12

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 13

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 31586/2016 कमल सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार के निर्णय की प्रत्याशा में प्रासंगिक निर्णय/अनुपालन को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।

प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 के अनुपूरक मद के निर्णय पर अनुपालन–

अनुपूरक मद सं0 01

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 02

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 03

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए निर्देश दिया गया कि 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत ही विचलन अनुमन्य किया जाय।

प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के निर्णय पर अनुपालन–

1. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
2. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
4. प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से तेजगढी चौराहा, हापुड अड्डा चौराहा, एच0आर0एस0 चौराहा तथा बेगमपुल चौराहा के निर्माण कार्यो के स्थल निरीक्षण हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समिति गठित करने का निर्देश दिया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यो का समिति के निरीक्षण तक अवशेष भुगतान की कार्यवाही स्थगित रखा जाय।

108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–		
मद सं0–01	वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 का दिनांक 31–10–2016 तक आय–व्यय की प्रगति।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आय–व्ययक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा प्राधिकरण की घटती आय पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि विमुद्रीकरण व आर्थिक मंदी की स्थिति के दृष्टिगत वाहय् विकास शुल्क, इम्पेक्ट शुल्क, एफ0ए0आर0 विक्रय से प्राप्त होने वाली आय में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृद्धि कठिन है, किन्तु शमन से प्राप्त होने वाली आय में बड़े–बड़े निर्माणों को चिन्हित कर उनका शमन कर शमन की आय में वृद्धि की जा सकती है, चिन्हित बड़े अनधिकृत निर्माण को प्राधिकरण की वेब साईट पर डालने का निर्देश दिया गया साथ ही मितव्ययता बरतने का निर्देश दिया गया।
मद सं0–02	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियों की किश्तों पर लिये जाने वाली ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनान्तर्गत दुर्बल आय वर्ग, अल्य आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग व व्यवसायिक श्रेणी की सम्पत्तियों के आवंटन में प्रस्तावानुसार ली जाने वाली ब्याज दर व दण्ड ब्याज दर का अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद सं0–03	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की निर्धारित दरों के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्धारित आवासीय दरों का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजना जो पूर्ण रूप से विकसित है अथवा नगर निगम को हस्तान्तरित है, में अवशेष सम्पत्तियों

		की नीलामी में जिलाधिकारी के सर्किल दर को ही आरक्षित दर निर्धारित किया जाय। शेष योजनाओं में प्राधिकरण दर ही लागू रहेगी। यदि सम्पत्ति का विक्रय, उक्त मूल्य पर नहीं सम्भव हो पा रहा हो तो प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर कम मूल्य पर विक्रय करने का प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया गया।
मद सं0–04	मेरठ विकास प्राधिकरण के पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों के बदले एक नया हल्का वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0–05	प्राधिकरण की गंगा नगर योजनान्तर्गत पॉकेट बी स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–01, क्षेत्रफल 1552.50 वर्ग मीटर को सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना हेतु गेल गैस लि0 को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गंगा नगर योजना के पॉकेट बी में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–01, क्षेत्रफल 1552.50 वर्ग मीटर के आवंटन हेतु प्रस्तावानुसार जिलाधिकारी की सर्किल दर का डेढ़ गुना सहित प्रति वर्ग मीटर दर रूपये 31,350/– में सभी कार्नर व फ्रीहोल्ड आदि शुल्क शामिल मानते हुए आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0–06	श्री राकेश सिहं, मेट के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0–07	पल्लवपुरम फेस–द्वितीय योजनान्तर्गत भूखण्ड संख्या केपी–11 स्थित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये गये	पल्लवपुरम फेस–द्वितीय योजनान्तर्गत भूखण्ड संख्या केपी–11 पर स्थित स्वीकृत मानचित्र के विचलन के प्रकरण में बोर्ड द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,

	अनधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।	उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं मुख्य नगर नियोजक एवं जोनल अधिकारी की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लेते हुए तथा समिति की संस्तुति पर उपाध्यक्ष को प्रकरण निस्तारित करने हेतु अधिकृत किया गया।
मद सं0–08	प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिडयूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया– (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय। (2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।
मद सं0–09	उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण/विकास की अनुज्ञा हेतु वांछित मानचित्र शुल्क की वैधता अवधि एक वर्ष किया जाना।	उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण/विकास की अनुज्ञा हेतु वांछित मानचित्र शुल्क की वैधता अवधि प्रस्तावानुसार एक वर्ष किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 10	उ0प्र0 शासन द्वारा जारी धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु उपविधि के अंगीकरण के सम्बंध	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु उपविधि का अंगीकरण किया गया।

	में।	
मद सं0 11	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 को विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन प्रदान करते हुए अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 का अंगीकरण किया गया।
मद सं0 12	गंगानगर योजना में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के पुनर्नियोजन हेतु योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्राधिरण बोर्ड द्वारा गंगानगर योजना में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के पुनर्नियोजन हेतु योजना के तलपट मानचित्र में प्रस्तावानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 13	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटों के हायर परचेज पर निस्तारण हेतु प्रस्ताव।	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटस् के आवंटन प्रकरण में प्रस्तावानुसार बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 14	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ मे एक मुश्त सीवर चार्जेज लिए जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सीवर शुल्क दिनांक 31--03–2017 तक एकमुश्त बकाया भुगतान करने पर मात्र 6 प्रतिशत साधारण ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 31–03–2017 के बाद पूर्वत् व्यवस्था के साथ सीवर मेन्टीनेन्स चार्ज जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि बोर्ड के निर्णय से पूर्व जिन आवंटियों द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है, उस धनराशि का समायोजन नहीं होगा।

मद सं0 15	शताब्दीनगर आवासीय योजना सैक्टर–2 मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास के निर्माण कार्य को उसकी लागत, भविष्य मे होने वाले सम्भावित रखरखाव पर होने वाले अत्याधिक व्यय एवं वर्तमान मे निर्माणाधीन भवन की उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन कार्य को इसी स्तर पर रोकने एवं निर्माणाधीन भवन का कालान्तर मे यथा–उपयोग करने/नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा शताब्दीनगर योजना में निर्माणाधीन आवास को इसी स्तर पर स्थगित रखने का निर्णय लेते हुए उक्त निर्माण को ''जहाँ है, जैसा है'' के आधार पर शीघ्र नीलामी करने अथवा अन्य उपयोगार्थ करने का निर्णय लिया गया।
अनुपूरक प्रस्ताव–		
अनुपूरक मद सं0 01	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के आवास निर्माण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गंगानगर योजना एवं रक्षापुरम योजना में उपाध्यक्ष आवास हेतु भूमि की उपलब्धता तथा उक्त की ड्राईग एवं आगणित व्ययानुमान सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
अनुपूरक मद सं0 02	विकास प्राधिकरण में नियोजन के कार्य हेतु 4 माह के लिये मानदेय पर नियोजन सहायक की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गंगानगर एक्सटेंशन योजना तथा शताब्दीनगर योजना के नियोजन कार्य हेतु 04 माह के लिये एक नियोजन सहायक मानदेय पद्धति पर रखने हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को अधिकृत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु—
1. प्राधिकरण बोर्ड सदस्य श्री परमिन्दर इशू द्वारा प्राधिकरण योजनाओं की एस0टी0पी0 बन्द रहने का तथ्य संज्ञान में लाया गया जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के नामित/गैर सरकारी सदस्यों के साथ प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 का संयुक्त निरीक्षण करा दिया जाय।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(अवनीश कुमार शर्मा) सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(योगेन्द्र यादव) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(आलोक सिन्हा) अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ।